



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(गव्य विकास निदेशालय)

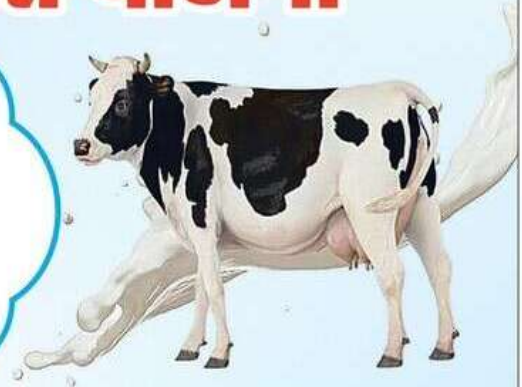


पशुधन द्वारा
जीवन में गुणान्तरक सुधार

(वित्तीय वर्ष 2025-26)

समग्र गव्य विकास योजना

02 एवं 04 दुधारु मवेशी के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग,
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 75%
तथा अन्य सभी वर्गों के लिए 50% अनुदान
एवं 15 तथा 20 दुधारु मवेशी के लिए सभी वर्गों हेतु 40%
अनुदान की योजना

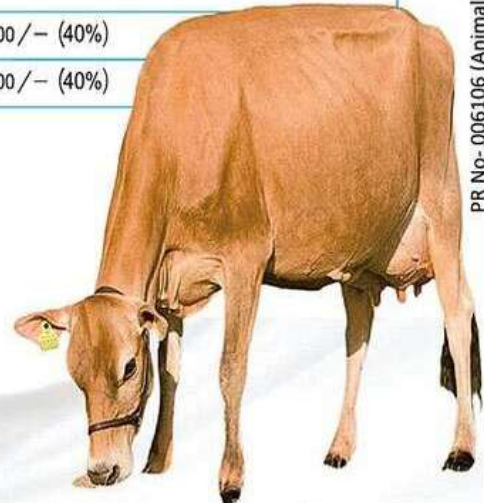


ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों, बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए 2, 4, 15 एवं 20 दुधारु मवेशियों/हिफर की डेयरी इकाई स्थापित करने हेतु आवेदन देने का सुनहरा अवसर

योजना के अवयव

अवयव	लागत मूल्य (रु० में)	विभागीय अनुदान की राशि (रु० में)	
		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनु. जाति/अनु. जनजाति	अन्य सभी वर्गों के लिए
2 दुधारु मवेशी/हिफर	1,74,000/-	1,30,500/-	87,000/-
4 दुधारु मवेशी/हिफर	3,90,400/-	2,92,800/-	1,95,200/-
सभी वर्गों के लिए			
15 दुधारु मवेशी/हिफर	15,34,000/-	6,13,600/- (40%)	
20 दुधारु मवेशी/हिफर	20,22,000/-	8,08,800/- (40%)	

- योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर भरे जायेंगे।
- योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन दिनांक 25.06.2025 से 25.07.2025 तक भरे जायेंगे।
- अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन के साथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, जमीन का अद्यतन रसीद, जाति प्रमाण पत्र, विभागीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अद्यतन बैंक पासबुक आदि अपलोड करना आवश्यक है।
- विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से सम्पर्क करें।



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, गव्य विकास निदेशालय, बिहार सरकार

Website: <https://state.bihar.gov.in/ahd> | <https://dairy.bihar.gov.in>
Email: directordairy@gmail.com, Phone : 94710 07445 | Toll Free : 1800 345 6681

निदेशक
गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना।

f i x o @BiharAFRO